समक्ष: ए. डी. कोशल और पी. एस. पट्टर जे.

धरम सिंह और अन्य, याचिकाकर्ता

बनाम

कार्यकारी मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग, पानीपत और अन्य, *उत्तरदाता।*

1972 का सी.डब्ल्यू. 884

9 सितंबर, 1974

हरियाणा ग्राम पंचायत चुनाव नियम (1971*) - नियम 6 और 7 - पंचायत चुनाव - नियम 7 के तहत जमानत राशि का प्रावधान - क्या अनिवार्य है - नामांकन पत्र के साथ ऐसी जमा राशि की रसीद दाखिल करना - चाहे निर्देशिका - रसीद के बिना नामांकन पत्र - क्या अस्वीकार किया जा सकता है।*

हरियाणा ग्राम पंचायत चुनाव नियम 1971 के नियम 7 (1) में कहा गया है कि पंचायत चुनाव के लिए प्रत्येक उम्मीदवार अपने नामांकन पत्र की डिलीवरी के समय या उससे पहले (i) जमा करेगा, और (ii) जमा राशि को दर्शाने वाली रसीद प्रस्तुत करेगा, लेकिन जमा करने और रसीद प्रस्तुत करने की दोनों आवश्यकताओं के संबंध में "होगा", जहां तक इनका अनुपालन न करने से उत्पन्न होने वाले परिणामों का संबंध है, नियम बनाने वाले प्राधिकारी द्वारा इन दो अपेक्षाओं को दो अलग-अलग स्तरों पर रखा गया है। जमा करने में विफलता के परिणामस्वरूप नामांकन अमान्य होने का गंभीर परिणाम होता है। हालांकि, ऐसा कोई जुर्माना उस उम्मीदवार का परित्याग नहीं कहा जाता है जो केवल रसीद प्रस्तुत करने में विफल रहता है। जाहिर है, जमा करने की आवश्यकता को नियम के सार के रूप में माना जाता था जो नियम पूरा करना चाहता है और इसका अनुपालन न करने को एक भौतिक अनियमितता के रूप में माना जाता है जिसमें गंभीर जुर्माना लगाया जाता है; जबकि रसीद के उत्पादन की आवश्यकता को किसी भी वास्तविक महत्व का नहीं माना जाता है ताकि इसके गैर-पालन से प्रवाह करने के लिए कोई दंड घोषित न किया जाए। इसलिए, जमानत राशि से संबंधित प्रावधान को नियम की अनिवार्य आवश्यकता माना जाना चाहिए और नामांकन पत्र के साथ ऐसी जमा राशि की रसीद को केवल **एक** निर्देशिका के साथ दाखिल नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार, जमानत राशि की रसीद के साथ नामांकन पत्र नामांकन की अमान्यता का आधार नहीं है। क्योंकि यह वह जमा है जिसे नियम सुनिश्चित करना चाहता है, रसीद का उत्पादन केवल जमा के प्रमाण की विधि के रूप में प्रदान किया जाता है। अब यदि कोई जमा राशि जमा की जाती है, लेकिन किसी न किसी कारण से इसे बनाने वाला उम्मीदवार इतना लापरवाह है कि उसे रसीद प्राप्त नहीं की जाती है या उसे रसीद नहीं दी जाती है या उसे गलत तरीके से प्राप्त किया जाता है और उस कारण से वह जमा नहीं कर सकता है, तो यह केवल उसी परिणाम के साथ उसके पास नहीं जाना होगा जो जमा करने में विफलता के बाद होता है। फिर, यदि नामांकन पत्र की डिलीवरी के समय रिटर्निंग अधिकारी को जमा

किया जाता है, तो वह जमा किए जाने का व्यक्तिगत ज्ञान होगा और रसीद का उत्पादन एक अधिशेष होगा और कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि यह भेद सलाह से किया गया है। इसलिए जमानत राशि की प्राप्ति के बिना नामांकन पत्र खारिज नहीं किया जा सकता है।

माननीय न्यायमूर्ति एसएस संधावालिया द्वारा 24 सितंबर, 1972 *को कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए एक बड़ी पीठ को मामला सौंपा गया। माननीय न्यायाधीश आर डी कोशल और माननीय न्यायमूर्ति प्रीतम सिंह पट्टर की वृहद पीठ ने अंततः 9 सितंबर,* 1974 को मामले का फैसला किया।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत याचिका में प्रार्थना की गई है कि सर्टिओररी या किसी अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश की प्रकृति में एक रिट जारी की जाए, जिसमें प्रतिवादी संख्या 12के आदेश को रद्द कर दिया जाए। (ख) दिनांक 20 जनवरी, 1972 *और आगे प्रार्थना की गई है कि रिट याचिका का अंतिम निर्णय लंबित रहने तक नए चुनाव के रूप में आक्षेपित आदेश के प्रचालन और कार्यान्वयन पर रोक लगाई जाए।*

याचिकाकर्ता की ओर से *सुरिंदर सरूप, एडवोकेट।*

एच. एन. मेहतानी, सहायक महाधिवक्ता (हरियाणा), प्रतिवादी *संख्या 1000 की ओर से* 1.

जिनेंद्र कुमार शर्मा, वकील और प्रतिवादी 2 के लिए *वकील श्री वाई. के. शर्मा।*

निर्णय

कोशल जे- (1) भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत इस याचिका को जन्म देने वाले तथ्य विवाद में नहीं हैं और जल्द ही बताए जा सकते हैं। सात याचिकाकर्ता और प्रतिवादी नंबर 2 (इसके बाद प्रतिवादी के रूप में संदर्भित) करनाल जिले के तहसील पानीपत के गांव सींख में ग्राम पंचायत के पंच के रूप में चुनाव के लिए उम्मीदवार थे। इन सभी ने जमानत की अपेक्षित राशि गांव लंबरदार के पास जमा करा दी, जिन्होंने हालांकि उनमें से किसी को भी कोई रसीद जारी नहीं की, और उस खाते में उनके द्वारा रिटर्निंग अधिकारी के पास दाखिल किए गए किसी भी नामांकन पत्र के साथ ऐसी कोई रसीद संलग्न नहीं की गई थी, जिसके समक्ष किसी भी प्रतियोगी द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई थी कि जमानत राशि की रसीद नहीं होने के कारण कोई नामांकन पत्र अमान्य था। इसमें संलग्न है। निर्वाचन अधिकारी द्वारा सभी आठ नामांकन पत्रों को स्वीकार कर लिया गया और 29 जून, 1971 को आयोजित मतपत्र की परिणामी प्रतियोगिता में, सात याचिकाकर्ताओं को निर्वाचित घोषित किया गया, जबकि प्रतिवादी असफल रहा।

आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा (1976)1

प्रतिवादी ने पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम, 1952 की धारा 13-बी (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) के तहत चुनाव याचिका दायर की। कार्यकारी मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पानीपत (प्रतिवादी संख्या 1) द्वारा इसे इस आधार पर अनुमति दी गई थी कि याचिकाकर्ताओं का चुनाव अमान्य था क्योंकि उनमें से किसी ने भी हरियाणा ग्राम पंचायत चुनाव नियमों के नियम 7 (1) की आवश्यकता के अनुसार अपने नामांकन पत्र के साथ जमानत राशि जमा करने की रसीद संलग्न नहीं की थी। 1971 (इसके बाद नियमों के रूप में संदर्भित)। विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा *नसीब सिंह* बनाम *जेएस पुरी और अन्य* ((1) 1969 पी.एल.आर.) पर भरोसा किया गया था, जिसमें तुली ने ग्राम पंचायत चुनाव नियम, 1960 के नियम 7 (1) की पुनर्व्याख्या की, जो नियमों के नियम 7 (1) के समान है, जिसका अर्थ है कि यदि जमानत राशि जमा करने वाली रसीद नामांकन पत्र के साथ प्रस्तुत नहीं की गई थी, ऐसे कागज को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।

2. यह मामला मूल रूप से संधावालिया, जे. के समक्ष रखा गया था, जिन्होंने नियमों के नियम 7 (1) और *नसीब सिंह* के मामले (सुप्रा) में फैसले पर विस्तृत विचार करने के बाद राय व्यक्त की कि उस मामले में निर्धारित कानून सही नहीं था और किसी उम्मीदवार द्वारा अपने नामांकन पत्र के साथ जमानत की राशि जमा करने वाली रसीद को प्रस्तुत करने को अधिक से अधिक एक निर्देश के रूप में माना जा सकता है। जिसका अनुपालन न करना नामांकन पत्र की वैधता के लिए घातक नहीं होगा। उनके कहने पर ही इस मामले को एक बड़ी पीठ के पास भेजा गया था और यह हमारे समक्ष है।

3. नियमों के नियम 6 और 7(1) को लाभ के साथ यहां पुन: प्रस्तुत किया जा सकता है -

"6. *उम्मीदवारों का नामांकन।*

"(1) कोई भी व्यक्ति जो अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (5) के तहत अयोग्य नहीं है, वह खुद को पंच के रूप में चुनाव के लिए उम्मीदवार के रूप में नामित कर सकता है; बशर्ते कि नियम 3 के तहत निर्धारित तिथि, समय और स्थान पर, वह व्यक्तिगत रूप से रिटर्निंग अधिकारी को निर्धारित फॉर्म में पूरा किया गया नामांकन पत्र वितरित करे।

(2) प्रत् येक उम् मीदवार का नामांकन फॉर्म 1 में एक अलग नामांकन पत्र पर किया

जाएगा और नामांकन के लिए सहमति देने वाले उम् मीदवार द्वारा स् वयं इसकी सदस्यता ली जानी चाहिए।

(3) अनुसूचित जाति के सदस्य I के नामांकन पत्र के साथ एक मजिस्ट्रेट, कानूनगो, पटवारी, लंबरदार या स्थानीय प्राधिकरण या हरियाणा राज्य विधानमंडल के सदस्य द्वारा सत्यापित एक घोषणा पत्र भी होगा कि उम्मीदवार अनुसूचित जाति का सदस्य है, जिसमें उस विशेष जाति को निर्दिष्ट किया जाएगा जिससे उम्मीदवार संबंधित है।

"7. *जमा*

(1) नियम के प्रावधानों के तहत नामित प्रत्येक उम्मीदवार

छः,नामांकन पत्र की सुपुर्दगी के समय या उससे पहले 50 रुपये की राशि जमा करनी होगी और अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के मामले में 20 रुपये की राशि या तो कोषागार या उप-कोषागार में या स्थानीय लंबरदार या रिटर्निंग अधिकारी के पास जमा करनी होगी और कोषागार या उप-कोषागार या लंबरदार से प्राप्त रसीद प्रस्तुत करनी होगी। या रिटर्निंग अधिकारी, जैसा भी मामला हो, और किसी भी उम्मीदवार को विधिवत नामांकित नहीं माना जाएगा जब तक कि ऐसी जमा जमा न की गई हो।"

ग्राम पंचायत चुनाव नियम, 1960 के संबंधित नियम 7(1) के तहत नामांकन पत्र के साथ रसीद को प्रस्तुत करना पत्र की वैधता के लिए *अनिवार्य शर्त है।*

"पीठ ने कहा, 'सवाल यह उठता है कि नियम सात के प्रावधान अनिवार्य हैं या महज निर्देशिका हैं. इस नियम को पढ़ने से पता चलता है कि इसके प्रावधान अनिवार्य हैं। रसीद को नामांकन पत्र के साथ संलग्न करना होगा ताकि यह साबित किया जा सके कि जमानत जमा की गई है और उस तथ्य को साबित करने का एकमात्र तरीका इस नियम में निर्धारित किया गया है, अर्थात, उस व्यक्ति से प्राप्त रसीद का उत्पादन जिसके पास जमा किया गया है और जमानत जमा करने के प्रमाण के किसी अन्य तरीके की अनुमति नहीं है। चूंकि प्रतिवादी संख्या 2 और 3 द्वारा नामांकन पत्रों के साथ जमानत राशि को साबित करने वाली कोई रसीद पेश नहीं की गई थी, इसलिए उनके नामांकन पत्रों को अनुचित तरीके से स्वीकार किया गया था और उनके नामांकन पत्रों की अनुचित स्वीकृति ने चुनाव के परिणाम को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है।"

पूरे सम्मान के साथ, हम इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं हो सकते। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि

जिस फॉर्म में नामांकन पत्र दाखिल किया जाना है और इसके साथ जो दस्तावेज होने चाहिए, वे नियम 6 की विषय-वस्तु हैं। नियम 7 (1) में ऐसे किसी भी दस्तावेज की बात नहीं की गई है। दूसरी ओर, यह आवश्यक है कि प्रत्येक उम्मीदवार अपने नामांकन पत्र के वितरण के समय या उससे पहले –

i. जमा करें, और

ii. जमा राशि को प्रमाणित करने वाली रसीद प्रस्तुत करें, और आगे घोषणा करें कि-

" किसी भी उम्मीदवार को विधिवत नामांकित नहीं माना जाएगा जब तक कि ऐसी जमा जमा नहीं की गई है"।

यह स्पष्ट है कि जमा करने और रसीद प्रस्तुत करने की दोनों आवश्यकताओं के संबंध में "नामांकन पत्र की सुपुर्दगी के समय या उससे पहले" शब्दों के उपयोग के बावजूद, इन दो अपेक्षाओं को नियम बनाने वाले प्राधिकारी द्वारा दो अलग-अलग स्तरों पर रखा गया है, जहां तक उनके साथ गैर-अनुपालन से उत्पन्न परिणामों का संबंध है। जमा करने में विफलता के परिणामस्वरूप नामांकन अमान्य होने का गंभीर परिणाम होता है। हालांकि, ऐसा कोई जुर्माना उस उम्मीदवार का परित्याग नहीं कहा जाता है जो केवल रसीद प्रस्तुत करने में विफल रहता है। जाहिर है, जमा करने की आवश्यकता को नियम के सार के रूप में माना जाता था जो नियम पूरा करना चाहता है और इसके साथ गैर-अनुपालन को एक भौतिक अनियमितता के रूप में माना जाता है जिसमें गंभीर जुर्माना होता है; जबकि रसीद के उत्पादन की आवश्यकता को किसी भी वास्तविक महत्व का नहीं माना गया था ताकि इसके गैर-पालन से प्रवाह करने के लिए कोई दंड घोषित नहीं किया गया था। इसलिए, पहले को नियम की अनिवार्य आवश्यकता माना जाना चाहिए और बाद में केवल एक निर्देशिका माना जाना चाहिए। यदि नियम बनाने वाले प्राधिकारी का इरादा ऐसा कोई भेद नहीं करना होता और किसी भी आवश्यकता का अनुपालन न करने की स्थिति में नामांकन को अमान्य नहीं करना होता, तो उसने स्पष्ट शब्दों में ऐसा कहा होता, और नियम 7 में प्रासंगिक खंड होता-

"और किसी भी उम्मीदवार को विधिवत नामांकित नहीं माना जाएगा जब तक कि ऐसी जमा जमा नहीं की गई है और ऐसी रसीद पेश की गई है"।

4. हम आगे की राय देते हैं कि रसीद पेश करने में विफलता के लिए नामांकन की अमान्यता का आधार घोषित नहीं किया जा रहा है। जबकि यह वह जमा है जिसे नियम सुनिश्चित करना चाहता है, रसीद का उत्पादन क्या है. केवल जमा राशि के प्रमाण की विधि के रूप में प्रदान

किया गया। अब, यदि कोई शिकायत की जाती है, लेकिन किसी न किसी कारण से इसे बनाने वाला उम्मीदवार इतना लापरवाह है कि उसे रसीद प्राप्त नहीं की जाती है या उसे नहीं दी जाती है या इसे गलत तरीके से प्राप्त किया जाता है और उस कारण से इसे प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो यह केवल उसी परिणाम के साथ उससे मिलने नहीं होगा जो जमा करने में विफलता के बाद होता है। फिर, यदि नामांकन पत्र की सुपुर्दगी के समय रिटर्निंग अधिकारी को जमा किया जाता है, तो उसे जमा किए जाने का व्यक्तिगत ज्ञान होगा और रसीद का उत्पादन अधिशेष होगा और कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि यह भेद सलाह से किया गया है।

5. इस प्रस्ताव के समर्थन में दोनों आवश्यकताओं को नियमों के नियम 7 (1) का सार माना जाता है और दोनों का अनुपालन न करने से नामांकन अमान्य हो जाएगा, अब इसकी जांच की जा सकती है। पहला एक *बारू राम* बनाम *श्रीमती प्रसन्नी और अन्य*(ए.आई.आर. 1959 एस.सी) पर आधारित था।, *नर्बदा प्रसाद* बनाम *छगनलाल और अन्य* (3), *नंद किशोर प्रसाद सिंह* बनाम *सदस्य, चुनाव न्यायाधिकरण, पटना और अन्य*, (ए.आई.आर. (1958) पृष्ठ 306)(4) , और जगनाथ बनाम *राम चंद्र इनाहक और अन्य* (ए.आई.आर. (1959) उड़ीसा 26)(5). सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए दो मामलों में यह माना गया था कि किसी उम्मीदवार द्वारा उन दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में विफलता जो उसे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 33 की उप-धारा (5) के प्रावधानों के अनुसरण में प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, नामांकन पत्र की अस्वीकृति का दंड है जो इस तरह की विफलता के कारण अमान्य हो जाता है। इनमें से प्रत्येक मामले में निर्णय अधिनियम की धारा 36 की उप-धारा (2) के खंड (बी) के प्रावधानों पर आधारित है, जिसे पुन: प्रस्तुत किया जा सकता है:

"36(1) _ — _ — — _

(2) निर्वाचन अधिकारी तब नामांकन पत्रों की जांच करेगा और किसी भी नामांकन पर की जाने वाली सभी आपत्तियों पर निर्णय लेगा और ऐसी आपत्ति पर या अपने स्वयं के प्रस्ताव पर, ऐसी संक्षिप्त जांच के बाद, यदि कोई हो, जैसा कि वह आवश्यक समझता है, निम्नलिखित आधारों में से किसी पर किसी भी नामांकन को अस्वीकार कर सकता है: -

I. — — — — — —

II. कि धारा 33 या धारा 34 के किसी भी प्रावधान का पालन करने में विफलता हुई है; नहीं तो इन प्रावधानों में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि यदि कोई उम्मीदवार धारा 33 की उप-धारा (5) सहित किसी भी प्रावधान का पालन करने में विफल रहता है, तो रिटर्निंग अधिकारी को उसका नामांकन पत्र अस्वीकार करना होगा। अब ऊपर उल्लिखित धारा 33 की उप-धारा (5) कहती है कि जहां कोई उम्मीदवार उस निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक है जहां से वह चुनाव लड़ता है, उस निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची के प्रासंगिक भाग की एक प्रति जांच के समय रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी जब तक कि इसे नामांकन पत्र के साथ दायर नहीं किया गया हो। यह मानते हुए कि उपर्युक्त धारा 33 (5) के प्रावधानों के अनुसार मतदाता सूची के प्रासंगिक हिस्से को प्रस्तुत करने में एक उम्मीदवार की विफलता उसके नामांकन पत्र को अमान्य कर देगी, उनके लॉर्डशिप ने *बारू राम के मामले* (सुप्रा) में कहा:

"हालांकि, जहां क़ानून को विशिष्ट तथ्यों को एक विशिष्ट तरीके से साबित करने की आवश्यकता होती है और यह उक्त आवश्यकता के गैर-अनुपालन के परिणाम का भी प्रावधान करता है, इस आधार पर जुर्माना खंड के आवेदन का विरोध करना मुश्किल होगा कि ऐसा आवेदन तकनीकी दृष्टिकोण पर आधारित है।

और फिर नर्बदा प्रसाद के मामले में (सुप्रा):

उन्होंने कहा, 'राम किशन के सामने दो विकल्प थे। एक तो रिटर्निंग ऑफिसर के सामने उल्लिखित दस्तावेजों में से किसी को भी पेश करना था या अपने नामांकन पत्र के साथ इसे पहले दाखिल करना था। उसने ऐसा नहीं किया। —. ।—

—

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 33 (5) के प्रावधानों का कोई अनुपालन नहीं था और इस आवश्यकता को समाप्त करने के लिए न्यायालय में कोई शक्ति नहीं थी।

■— — —

■—

निर्वाचन अधिकारी द्वारा राम किशन का नामांकन पत्र खारिज करना उचित था।

धर्म सिंह, आदि, ***बनाम*** टी [1] वह कार्यकारी मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,

पटना मामले में यह माना गया था कि जहां एक व्यक्ति प्रतिनिधित्व के प्रावधानों के तहत दूसरे के चुनाव को चुनौती देता है

लोक अधिनियम, 1951 के तहत याचिका में सरकारी खजाने की रसीद संलग्न नहीं की गई है जिसमें यह दर्शाया गया हो कि उन्होंने उस अधिनियम की धारा 117 के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक प्रतिभूति जमा की है, उनकी याचिका खारिज की जा सकती है। मामले का फैसला जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 90 (3) के प्रावधानों के अनुसरण में किया गया था, जिसमें स्पष्ट शब्दों में कहा गया था कि यदि धारा 117 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो याचिका खारिज की जा सकती है।

उड़ीसा का मामला भी इसी तरह का था और उसमें भी जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 117 का अनुपालन न करने पर धारा 90 (3) के प्रावधानों के मद्देनजर चुनाव याचिका खारिज कर दी गई थी।

ये सभी प्राधिकरण स्पष्ट रूप से अलग-अलग हैं और वास्तव में प्रतिवादी की ओर से उठाए गए विवाद के खिलाफ जाते हैं। उनमें से प्रत्येक में एक अन्य वैधानिक प्रावधान के साथ विशिष्ट गैर-अनुपालन के लिए एक विशिष्ट जुर्माना लगाने के लिए एक वैधानिक प्रावधान था, जो यहां स्थिति नहीं है। नियमों के नियम 7 (1) में विशिष्ट प्रावधान, जैसा कि पहले ही कहा गया है, नामांकन को केवल तभी अमान्य किया जा सकता है जब कोई जमा नहीं किया जाता है और रसीद प्रस्तुत करने में विफलता के मामले में नामांकन को अमान्य घोषित नहीं किया जाता है। इस प्रकार, नियम की भाषा, हमारी राय में, केवल उस व्याख्या के लिए अतिसंवेदनशील है जिसे हमने उस पर रखा है।

6. प्रतिवादी के लिए उठाया गया एक अन्य तर्क यह था कि नियमों के नियम 7 (1) में होने वाले "ऐसी जमा" शब्द का अर्थ "रसीद द्वारा प्रमाणित जमा" के रूप में लगाया जाना चाहिए। निर्माण का ऐसा कोई नियम नहीं है जो हमें "ऐसी जमा" अभिव्यक्ति की इस व्याख्या को स्वीकार करने में सक्षम बनाता है, जिसका स्पष्ट रूप से अर्थ है कि धारा में पहले संदर्भित जमा राशि और यह "50 रुपये की राशि" की जमा है और अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के मामले में 20 रुपये की राशि या तो कोषागार या उप-कोषागार में या स्थानीय लंबरदार या रिटर्निंग अधिकारी के पास है। जमा राशि का विवरण देने वाला खंड और रसीद का उल्लेख करने वाला खंड संयुक्त "और" से जुड़ा हुआ है, और दो अलग-अलग चीजों को संदर्भित करता है ताकि एक के विवरण को दूसरे के विवरण में नहीं पढ़ा जा सके और दोनों के बीच केवल संबंध यह है कि रसीद जमा के लिए एक रसीद है, न कि जमा केवल तभी जमा हो जाती है जब यह रसीद से प्रमाणित होती है।

7. बताए गए कारणों के लिए, हम याचिका स्वीकार करते हैं और प्रतिवादी नंबर 1 के आदेश को रद्द करते हैं। हालांकि, मामला ऐसा नहीं है। वहीं आराम करें क्योंकि उनके द्वारा तैयार किए गए मुद्दे संख्या 2 और 3 पर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय नहीं लिया गया था कि उन्होंने याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर नामांकन पत्र के अवैध होने के आधार पर उनके समक्ष चुनाव

धर्म सिंह, आदि, ***बनाम*** टी [1] वह कार्यकारी मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,

याचिका स्वीकार कर ली थी, क्योंकि उन्होंने उनके द्वारा जमा की गई जमानत के संबंध में रसीदें पेश नहीं की थीं। अत, वह उन पक्षों को सुनने के बाद उक्त दो मुद्दों पर निर्णय लेंगे जिन्हें 7 अक्तूबर, 1974 को उनके समक्ष उपस्थित होने का निदेश दिया गया है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

पट्टर न्यायमूर्ति- मैं सहमत हूं।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा

प्रांशु जैन
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी,
गुरुग्राम, हरियाणा ।